झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः– रा0खा0आ0 (शिकायत) राँची / PDS –12 / 2022 - 788
प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 9.10.2023

विषय :– **JSFC के कडरू, राँची गोदाम–01 और 02 से अनाज चोरी के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि श्री प्रेम वर्धन (प्रेम वर्मा), सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार का पत्र सं0–06 दिनांक–20.09.2023 आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त पत्र में 4 सितम्बर को राँची के झारखण्ड खाद्य आपूर्ति के कडरू स्थित गोदाम परिसर से 41 क्वीन्टल अनाज से भरी ट्रकों के चोरी हो जाने का उल्लेख करते हुए इस संबंध में निष्पक्ष जांच करवाकर अपराधी को उचित दण्ड दिलवाने एवं सभी गोदामों में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।

अतः प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

9/10/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx510

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

डीएसओ का आदेश

एसएफसी कडरू गोदाम से चावल चोरी मामले में केस करें

रांची | राज्य खाद्य निगम के कडरू स्थित गोदाम से 41 क्विंटल चावल चोरी करने के मामले में डीएसओ ने सभी नामजद आरोपियों पर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश सोमवार को जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक गोदाम प्रबंधक कडरू एक व दो 24 घंटे के अंदर आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराए। इसके साथ ही [illegible] घंटे के अंदर आरोपियों से चावल के बदले चावल की वसूली की जाए।

(254)

प्रेम वर्धन (प्रेम वर्मा)
राँची (झारखण्ड)
Mob. : 9304373454

सदस्य
भारतीय खाद्य निगम
भारत सरकार

भारतीय खाद्य निगम
FOOD CORPORATION OF INDIA

पत्रांक : 06 दिनांक : 20/09/23

M.S. 29/09/2023

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी

राँची, झारखण्ड

विषय:- JSFC की कडरु, राँची गोदाम-1 और 2 से अनाज चोरी के सम्बन्ध में |

महाशय,

4 सितम्बर की रात राँची के झारखण्ड खाद्य आपूर्ति की कडरु, थाना- अरगोडा, जिला- राँची, स्थित गोदाम परिसर में अनाज से भरी ट्रकों से 41 क्विंटल अनाज चोरी हो गयी | दुर्भाग्य से करोड़ों रुपये की गरीबों की अनाजों की सुरक्षा हेतु कोई गार्ड नियुक्त नहीं है और न ही इस आवेदन को लिखने तक कोई FIR विभाग द्वारा दर्ज नहीं कराई गई |

दिनांक 14 सितम्बर को गोदाम प्रबंधको से संपर्क करने पर जानकारी मिली कि लगभग सभी अनाज बरामद कर लिया गया है यानि कुछ ट्रक ओनर्स अपने ड्राईवरों की जिम्मेदारी लेते हुए बाजार से अनाज खरीदकर गोदाम में पहुंचा दिया गया उससे प्रतीत होता है कि चोरी पकड़ी जाने के भय से अनाज की बरामदी दिखा दी गयी है | लेकिन सवाल यह उठता है कि गरीबों की अनाज ऐसे ही चोरी होती रहेगी और पकडे जाने के भय से अनाज की बरामदी दिखाकर अपराधी अपराध मुक्त हो जायेगा ?

महाशय आपसे कर बद्ध प्रार्थना है कि गरीबों के हक की अनाज चोरी की निष्पक्ष जांच करवाकर अपराधी को उचित दण्ड दिलवाई जाए तथा सभी गोदामों में सुरक्षा गार्ड की पर्याप्त व्यवस्था को भी सुनिश्चित कराई जाए |

आपका विश्वासी

प्रतिलिपि

1. GM JSFC Jharkhand
2. जिला उपायुक्त, राँची
3. झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड